



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

रेलवे रोड हर्वाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) — 248001

पत्रांक : 1200 / उ0आ0वि0 / विज्ञप्ति / 2021-22

दिनांक : 29 जुलाई, 2021

विज्ञप्ति आंशिक संशोधन सूचना

विश्वविद्यालय द्वारा सीधी भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 1097, दिनांक 22 जुलाई, 2021 के माध्यम से शिक्षणेत्तर (गैर शैक्षणिक) संवर्ग एवं चिकित्सालय/तकनीकी संवर्ग के विभिन्न विज्ञापित पदों में से उपचिकित्साधीक्षक पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता/योग्यता के अनिवार्य अर्हता में निम्नवत् आंशिक संशोधन किया जा रहा है :-

पूर्व में प्रकाशित	वर्तमान में संशोधित
अनिवार्य अर्हता 1. केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि 1. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम की अनुसूचियों में सम्मिलित विषय कायचिकित्सा/शल्य/शालाक्य/बालरोग/स्त्री एवं प्रसुति तंत्र में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. संबंधित विषय में कुल 10 वर्षों का शिक्षण/चिकित्सालय प्रशासन में अनुभव। अधिमानी अर्हता 1. संबंधित विषय में पीएच0डी0 की उपाधि 2. मान्यता प्राप्त जर्नल में शोध पत्रों का प्रकाशन।	अनिवार्य अर्हता 1. केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि 2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम की अनुसूचियों में सम्मिलित नैदानिक विषय/विशिष्टता कायचिकित्सा/शल्य/शालाक्य/बालरोग/स्त्री एवं प्रसुति तंत्र/पंचकर्म/स्वस्थवृत्त/अगदतंत्र/योग/रसायन एवं वाजीकरण/मनोविज्ञान एवं मानसरोग में स्नातकोत्तर उपाधि (सी0सी0आई0एम0 के अनुसार)। 3. संबंधित विषय में कुल 10 वर्षों का शिक्षण/चिकित्सालय प्रशासन में अनुभव। अधिमानी अर्हता 1. संबंधित विषय में पीएच0डी0 की उपाधि 2. मान्यता प्राप्त जर्नल में शोध पत्रों का प्रकाशन।

शेष विज्ञप्ति एवं अन्य नियम शर्तें यथावत रहेंगे।

29/7/21
कुलसचिव